

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा
प्रशासन गैरों के लिए अभियान 2021 कैम्प शेरां

प्रकरण संख्या / 1284/21

दिनांक - 1/12/2021


उनवान

श्री. हंसा पुत्री शंभूलाल

यनाग सरकार जारंग तहसीलदार
जहाजपुर जिला भीलवाडा


:: आदेश ::

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज
पटवारी हल्का शेरां II ग. अ. नि. शेरां एवं नाथद तहसीलदार
/तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट/अनुशांदा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में प्राग शेरां प. ह. शेरां II
की वर्तमान जमावन्दी सम्वत् 2076-2079 के खाता संख्या 4/3
प्रार्थीगण की प्रविष्टि हंसा पुत्री शंभूलाल
के स्थान पर हंसा पुत्री शंभूलाल
राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का आदेश
जारी किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत की जाये।


उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, जहाजपुर जिला भीलवाडा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राज
रेकार्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करें।
2. प्रार्थी श्री हंसा पुत्री शंभूलाल
3. रक्षित पत्रावली हंसा पुत्री शंभूलाल


उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला भीलवाडा